संख्या- 111 /2016-1862/नौ-5-16-70सा/2005

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 22 जून 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016-2017 में आगरा जल सम्पूर्ति (पलरा) परियोजना (जे0बी0आई0सी0 सहायतित) के कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, (गंगा) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-जी-88/022-0304/2016 दिनांक 10.06.2016 के संदर्भ में शासनादेश सं0-1945/नौ-5-2008-70सा/05 टीसी, दिनांक 31.03.2008, शासनादेश सं0-4882/नौ-5-2008-70सा/2005, दिनांक 01.08.2008, शासनादेश सं0-5998/नौ-5-2008-70सा/2005, दिनांक 29.09.2010, शासनादेश सं0-282/नौ-5-2011-70सा/2005, दिनांक 28.02.2011, शासनादेश सं0-3896/नौ-5-2012-70सा/2005, दिनांक 04.12.2012, शासनादेश सं0-2672/नौ-5-2013-70सा/2005, दिनांक 16.05.2013, शासनादेश सं0-252/नौ-5-2014-70सा/2005, दिनांक 17.01.2014, शासनादेश सं0-5496/नौ-5-2014-70सा/2005, दिनांक 16.09.2014, शासनादेश सं0-214/2015-3896/नौ-5-2015-70सा/2005, दिनांक 30.06.2015 एवं शासनादेश सं0- 75/2016-1157/नौ-5-16-70सा/2005 दिनांक 30.03.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 में आगरा जल सम्पूर्ति (पलरा) परियोजना (जे0बी0आई0सी0 सहायतित) के कार्य हेतु परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 2887.92 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-2017 में रू0 30000.00 लाख (रू0 तीन सौ करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबंधो के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/ विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से धनराशि एक मुश्त आहरित न कर किश्तों में आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी। किसी भी किश्त की धनराशि रू0 50.00 करोड़ से अधिक नही होगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(7) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

go finance mangal font

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

(9) पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 1257.00 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धरित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण् इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति -97-बाहय सहायतित योजनाएं-9701-आगरा जलापूर्ति (पलरा) योजना (जे0बी0आई0सी0 सहायतित)-24-व्रहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-177/2016-1862 (1)/नौ-5-16-70सा/2005

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ/आगरा ।
3. कोषाधिकारी, कलेक्टेट कम्पाउण्ड लखनऊ।
4 निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ ।
6 नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा।
7. मुख्य अभियंता (आगरा क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा ।
8. मुख्य अभियंता (गंगा) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
9. परियोजना निदेशक, आगरा जल सम्पूर्ति (पलरा) योजना, उ0प्र0 जल निगम 4/4 संजय प्लेस, आगरा ।
10. वित्त (व्यय-नित्रयण) अनुभाग-8/9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11 वरिष्ठ अधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
12 सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
13 गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल ।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-22/06/2016

प्रेषण संख्या:- 177

आवंटन आदेश संख्या:- 001-177-2016-1862-9-5-16-70Sa-2005

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4215 - जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)

01 - जलपूर्ति

101 - शहरी जल पूर्ति

97 - बाहय सहायतित योजनाएं

01 - आगरा जलापूर्ति (पलरा)योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000000 3000000000	3000000000 3000000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	3000000000 3000000000	3000000000 3000000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन अरब

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन अरब

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी